प्ररूप–11

(नियम–7 (1) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी, कार्यालय नगरपालिका सागवाडा (राज.)

मामला धारा 90 क प्रकरण स.– 04 और वर्ष 2015–16

श्री दोला पिता अमरा भील निवासी एकलव्य कॉलोनी सराडी तह. सलुम्बर जिला उदयपुर (राज.)

आवेदक

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक :– 09.06.2015

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का **शैक्षणिक संस्थानिक** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षैत्र
सागवाडा, डूँगरपुर	जैठाना	230	1.00 बीघा

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

3. यह कि मेने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनो का परीक्षण कर लिया है। मैने सबंधित तहसीलदार की रिर्पोट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिर्पोट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये वांछित उपयोग मास्टर प्लानयोजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्था भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमो के उपबंधो के अनसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **शैक्षणिक संस्थानिक प्रयोजन** के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिये स्वीकार किया ज़ा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं. 230 **रकबा 1.00, कुल किता 01, कुल 1.00 बीघा भूमि** मे से **1940 वर्गगज** भूमि की ग्राम **जैठाना** तहसील **सागवाडा** मे स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारो को उक्त भूमि का **शैक्षणिक संस्थानिक** प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नार्मनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमो, विनियमो या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारो के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् सही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग मे लिया जायेगा।

6. इन नियमो के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनो और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षर के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **09.06.2015** को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी

नगरपालिका सागवाडा (राज.)

TRUE-COPY

VIPEEN KUMAR SAXENA
ADVOCATE
1371/2012

सं. 90–क/2015–16/ 930-32

दिनांक :– **09.06.2015**

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी –

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील सागवाडा को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने क लिए।
2. श्री अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सागवाडा।
3. **श्री दोला पिता अमरा भील निवासी एकलव्य कॉलोनी सराडी तह. सलुम्बर जिला उदयपुर (राज.)**

sd/-

प्राधिकृत अधिकारी

नगरपालिका सागवाडा (राज.)

प्रारूप "ख"

देखिये नियम 9(3)(4)(6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,सागवाडा जिला डूँगरपुर (राज0)

–: संपरिवर्तन आदेश :–

श्रीमती बिन्दु पाठक पत्नि हेमन्त पाठक , अध्यक्ष एंव सौरभ पाठक पुत्र हेमन्त पाठक , सचिव एम.के. संस्थान सागवाडा हि0ब0 खातेदार जाति ब्राहमण निवासी सागवाडा मौजा वनखण्ड कांठल के आवेदन पर तहसीलदार सागवाडा द्वारा की गई जॉच रिर्पोट के आधार पर प्रार्थी को उसकी खातेदारी अभिधृति मे आधारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि से अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9(3)(4)(6) के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियॉ नीचे दी गई है ।

1–आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम:– श्रीमती बिन्दु पाठक पत्नि हेमन्त पाठक , अध्यक्ष एंव सौरभ पाठक पुत्र पिता/पति का नाम सहित – हेमन्त पाठक ,सचिव एम.के. संस्थान सागवाडा निवासी सागवाडा तह0सागवाडा

2–क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है:– हॉ

3–संपरिवर्तन भूमि का व्यौरा:–

(क)	ग्राम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम
	वनखण्ड कांठल	सेमलिया पण्डया	सागवाडा

(ख) भूमि खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा क्षैत्रफल–

खसरा नम्बर क्रमशः – 95 रकबा क्रमशः – 8.02 बीघा भूमि

(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षैत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षैत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)

रकबा – 1.10 बीघा भूमि अर्थात – 2430 वर्गमीटर

टिप्पणी:–अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन की भूमि का दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग का सम्यक रूप से सत्यापित प्रति–

4–संपरिवर्तन का प्रयोजनः – (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

5–संदेय प्रीमियम की दरः – 10.00 प्रति वर्गमीटर

6–चालान की संख्या तथा तारीख से–चा0नं0 51 दिनांक 22.05.2015 रू0 24300/–
चालान जमा कराई गई प्रिमियम की रकम–

7–चालान की संख्या तारीख सहित यदि– कोई शास्ति हो – नही

8–चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो– नहीं

9–क्या आवेदक विनियमितिकरण के लिए नियम 12 क के अधीन जारी किय गया है – नही

10–अन्य विशिष्टियॉ यदि कोई हो– नही उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा:–

1–आवेदक को इण्डियन रोड कांग्रेस के मानदण्डो अनुसार भूमि छोडकर निर्माण किया जावेगा ।

2–आवेदक को राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक पं.6 (6)राज–6/92 पार्ट–23 दिनांक 17.07.07 की पालना करनी होगी ।

3–उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जावे।

4–यदि आवेदक इस आदेश की जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने मे विफल रहता है अनुज्ञा प्रत्यादित कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया धन समपद्त हो जायेगा ।

5–नियम 4 मे यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा ।

6–लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही दिया जायेगा ।

7–संपरिवर्तित भूमि पर नियमानुसार ग्रामीण सडक, जिला सडक एवं स्टेट हाईवे की सडक सीमा से निर्धारित भूमि छोडकर निर्माण कार्य किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

कमांक/राजस्व/भू0रू0/2015/2154-58 दिनांक:– 22-05-2015

1–श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय (डी.आर.ए.) डूँगरपुर।
2–तहसीलदार सागवाडा।
3–पटवारी, पटवार हल्का सेमलिया पण्डया को पालनार्थ।
4–सरपंच, ग्राम पंचायत सेमलिया पण्डया।
5–तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील सागवाडा।
6–श्रीमती बिन्दु पाठक पत्नि हेमन्त पाठक ,अध्यक्ष एंव सौरभ पाठक पुत्र हेमन्त पाठक ,सचिव एम.के. संस्थान सागवाडा जाति ब्राहमण निवासी सागवाडा तहसील सागवाडा, जिला डूँगरपुर।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

TRUE-COPY

NOTARY
VIPEEN KUMAR SHARMA
ADVOCATE
Sagwara
Reg.No
1371/2018
GOVT. OF RAJASTHAN

प्ररूप–11
(नियम–7 (1) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी, कार्यालय नगरपालिका सागवाडा (राज.)

मामला धारा 90 क प्रकरण स.– 58   और   वर्ष 2019–20

श्री दोला पिता अमरा भील, श्री नोजा पिता दोला भील निवासी एकलव्य कॉलोनी सराडी सलुम्बर तह. सलुम्बर जिला उदयपुर (राज.)
आवेदक

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का **शैक्षणिक** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
सागवाडा, डूँगरपुर	जैठाना	230, 231/1	0.8737 हेक्टे.

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
3. यह कि मेने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनो का परीक्षण कर लिया है। मैने सबंधित तहसीलदार की रिर्पोट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिर्पोट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये वांछित उपयोग मास्टर प्लानयोजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्था भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमो के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **शैक्षणिक** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिये स्वीकार किया जा सकता है।
4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा सं **230, 231/1 कुल किता 02 रकबा 0.8737 हेक्टे.** मे से **10454 वर्गगज** भूमि की ग्राम सागवाडा तहसील सागवाडा मे स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारो को उक्त भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमो, विनियमो या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारो के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् सही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग मे लिया जायेगा।
6. इन नियमो के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनो और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षर के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 14.9.2021 को पारित किया गया।

– Sd.
प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका सागवाडा (राज.)

TRUE-COPY
NOTARY
VIPEEN KUMAR SHARMA
ADVOCATE
Sagwara

कमांक :– 90–क/2021–22/ 1375-77
दिनांक :–14.9.2021

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गेयी –

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब, तहसील सागवाडा को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षर को उसकी प्रति भेजने के लिये।
2. श्री अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सागवाडा।
3. श्री दोला पिता अमरा भील, श्री नोजा पिता दोला भील निवासी एकलव्य कौलोनी सराडी सलुम्बर तह. सलुम्बर जिला उदयपुर (राज.)

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका सागवाडा (राज.)